(130)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

रिव्यु क्र 2888- II/14

489 / 20-8-14

1— प्रदीप कुमार गुप्ता तनय मोहनलाल गुप्ता निवासी ग्राम हनुमान गंज करही, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0

2— किरण गुप्ता पुत्री स्व0 मोहनलाल गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी धवारी नं0—01, सतना म0प्र0

—————————आवेदकगण

बनाम

1— दिनेश कुमार गुप्ता तनय मोहनलाल गुप्ता निवासी ग्राम हनुमान गंज करही, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0

2— शिवकुमार गुप्ता तनय स्व0 मोहनलाल गुप्ता निवासी ग्राम हनुमान गंज करही, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0

3— संगीता गुप्ता पुत्री स्व0 मोहनलाल गुप्ता पत्नी संतोष गुप्ता निवासी गांधी गंज कटनी म0प्र0

4— श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी स्व0 मोहनलाल गुप्ता

5— शशांक गुप्ता तनय स्व0 मोहनलाल गुप्ता नाबालिग जरिये बली संरक्षिका माता श्रीमती प्रीति गुप्ता,

6— कु0 राखी गुप्ता पुत्री स्व0 मोहनलाल गुप्ता नाबालिग जरिये बली संरक्षिका माता श्रीमती प्रीति गुप्ता तीनों निवासी मुख्त्यारगंज, वार्ड क0'—04, सतना म0प्र0

—————अनावेदकगण

श्री दिवाकर त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 20-8-14 प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र बावत् आदेश दिनांक 24.07.2014 बावत् प्रकरण क0—1705/III/2011

क्रमांक 2454 मान्यवर
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 25-8-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट

पुनर्विलोकन आवेदन के आधार निम्नलिखित हैं :—

1— यह कि आदेश दिनांक 24.07.2014 विधि प्रकिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध होने से काबिल निरस्तगी है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 2888–दो/2014 जिल– सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण कमांक 1705–तीन/2011 में पारित आदेश 24–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 1705–तीन/2011 के मूल आदेश दिनांक 24–7–2014 में आदेश पारित किया जाकर चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एम0 अली) सदस्य	